

**बिहार सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**  
**अधिसूचना**

पटना-15, दिनांक- 16 दिसम्बर, 2014

बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 सं०सं०-3/स्था०-04-(सं० नि०)-28/2013 का 2041/भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता परिक्षेत्रीय कार्यालयों के प्रारूपकार संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्तों को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियामावली बनाते हैं ।

1. **सक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ** 1-(1) यह नियमावली "बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014" कही जा सकेगी ।
  - (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
  - (3) यह तुरत प्रवृत्त होगी ।
2. **परिभाषाएँ** 1- इस नियमावली में, जबतक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं हो-
  - (i) "विभाग" से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार;
  - (ii) "संवर्ग" से अभिप्रेत है जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत प्रारूपकार संवर्ग जिसमें इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वाले कर्मी सम्मिलित होंगे;
  - (iii) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग;
  - (iv) "नियत तिथि" से अभिप्रेत है इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि;
  - (v) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग;
  - (vi) "क्षेत्रीय कार्यालय" से अभिप्रेत है मुख्य अभियंता के अधीनस्थ सभी कार्यालय ।
3. **संवर्ग की संरचना** 1- प्रारूपकार संवर्ग क्षेत्रीय स्थापना की संवर्ग संरचना निम्नवत् होगी :-
  - (i) इस नियमावली के अधीन नियुक्त होने वालों के साथ-साथ जो कर्मी वर्तमान में विभागीय क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रारूपकार संवर्ग के पद पर नियमित रूप से नियुक्त हैं, का स्वतः इस संवर्ग में विलय हो जायेगा ।
  - (ii) यह संवर्ग मुख्य अभियंता के परिक्षेत्रवार होगा ।
  - (iii) प्रारूपकार संवर्ग की संख्या उतनी होगी जितना विभाग द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।
  - (vi) प्रारूपकार संवर्ग के पद सोपान निम्नरूपेण विहित किये जाते हैं :-

क्रमांक	कोटि का नाम	स्तर
1	प्रारूपकार	मूल कोटि
2	प्रारूपकार -I	प्रथम प्रोन्नति स्तर
3	प्रारूपकार -II	द्वितीय प्रोन्नति स्तर
4	वरीय प्रारूपकार	तृतीय प्रोन्नति स्तर

पदों का वेतनमान वही होगा जो सरकार (वित्त विभाग) द्वारा इन पदों के लिए समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा ।

4. **अर्हता** 1-(1) प्रारूपकार के पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता राज्य या केन्द्र से मान्यताप्राप्त बोर्ड/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन के साथ ड्राफ्टमैन में डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग अथवा किसी भी ट्रेड में डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग आवश्यक है । निर्धारित अन्य अर्हताओं पर बराबरी की स्थिति में ड्राफ्टमैन में डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग को प्राथमिकता दी जाएगी ।



(2) विज्ञापन की तिथि से न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु सीमा वही होगा जो राज्य सरकार (सामान्य प्रशासन विभाग) द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जायेगा।

5. **भर्ती** I—(1) प्रारूपकार का 85% पद सीधी भर्ती से भरे जायेंगे और 15% पद अनुरेखक/नीलचित्रक कर्मी जो प्रारूपकार के पद पर नियुक्ति की अर्हता रखते हों से, बिना किसी परीक्षा के, वरीयता क्रम में, भरे जायेंगे। सीधी भर्ती के 85% पदों में से 10% तक पद अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए आरक्षित रहेंगे।
- (2) सभी भर्तियों आयोग की अनुशंसा पर प्रारूपकार संवर्ग की मूल कोटि में की जायेगी।
- (3) नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल के आधार पर रिक्तियों की गणना करेगा और 30 अप्रैल तक आयोग को अधियाचना भेज देगा।
- (4) आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा और प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन करने के बाद संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधाक्रम से अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधासूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।
6. **प्रोन्नति** द्वारा भर्ती I—(1) नियुक्ति प्राधिकार मैट्रिक उत्तीर्ण के साथ ड्राफ्टमैन में डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग अथवा किसी भी ट्रेड में डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग योग्यताधारी अनुरेखक/नीलचित्रक कर्मचारियों की वरीयता सूची तैयार करेगी। निर्धारित अन्य अर्हताओं पर बराबरी की स्थिति में ड्राफ्टमैन में डिप्लोमा इन इंजिनियरिंग को प्राथमिकता दी जायेगी।
- (2) प्रोन्नति वरीयतानुसार विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर दी जायेगी।
- (3) प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा किया जायेगा।
7. **परिवीक्षा अवधि** I— नियुक्ति परिवीक्षा पर होगी, जो दो वर्षों के लिये होगी। अगर परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मी का कार्य अनुपालन के आधार पर मूल्यांकित सेवा एवं आचार संतोषप्रद नहीं पाया जाय तो उनकी परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। अगर परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मी का कार्य अनुपालन के आधार पर मूल्यांकित सेवा एवं आचार विस्तारित अवधि में संतोषप्रद नहीं पायी गयी तो उसे बिना किसी सूचना के सेवामुक्त कर दिया जायेगा।
8. **सम्पुष्टि** I— कोई परिवीक्षाधीन व्यक्ति परिवीक्षा अवधि की सन्तोषजनक समाप्ति तथा विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता के बाद सम्पुष्ट किया जायेगा।
9. **वरीयता** I—संवर्ग के सदस्य की आपसी वरीयता आयोग द्वारा निर्धारित उनकी मेधा स्थिति के अनुसार होगी परन्तु इस नियमावली के प्रवृत्त होने के पूर्व विनिश्चित आपसी वरीयता अपरिवर्तनीय रहेगी :
- परन्तु किसी भर्ती वर्ष में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से कनीय होंगे:
- परन्तु और किसी भर्ती वर्ष में प्रोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति संबंधित भर्ती वर्ष में प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्त व्यक्ति से वरीय होंगे :
- परन्तु और भी कि किसी कर्मी के अनुरोध पर एक परिक्षेत्र से दूसरे परिक्षेत्र में स्थानान्तरण की स्थिति में उक्त कर्मी स्थानान्तरित परिक्षेत्र में सबसे कनीय समझे जायेंगे, किन्तु प्रशासनिक आधार पर स्थानान्तरण किये जाने पर संबंधित कर्मी की वरीयता अक्षुण्ण रहेगी।



10. आरक्षण।- बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए) अधिनियम 1991 एवं इसके अधीन राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर विहित नियमावली एवं रोस्टर, नियुक्ति एवं प्रोन्नतियों पर लागू होंगे।
11. पदस्थापन।- नियुक्त प्रारूपकार का पदस्थापन मुख्य अभियंता के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा।
12. अवशिष्ट मामले।- ऐसे मामलों के संबंध में जो इस नियमावली द्वारा विशिष्ट रूप से आच्छादित नहीं हैं, संवर्गों के सदस्य राज्य सरकार के समुचित स्तर के पदाधिकारियों/कर्मचारियों के लिए लागू नियमावली, विनियमावली या आदेशों से शासित होंगे।
13. कठिनाई का निराकरण।- सरकार (जल संसाधन विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग) समय-समय पर विधि विभाग के परामर्श के पश्चात ऐसा सामान्य या विशेष निदेश जारी कर सकेगा जो इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के कार्यान्वयन में आ रही कठिनाई के निराकरण के लिए आवश्यक हो तथा इस नियमावली के प्रावधानों से असंगत न हो।
14. निर्वचन।- जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों में से किसी के निर्वचन के संबंध में कोई शंका उत्पन्न हो, वहाँ मामला सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विनिश्चित किया जायेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।
15. निरसन एवं व्यावृत्ति।- (1) पूर्व में निर्गत सभी संकल्प, आदेश या परिपत्र एतद् द्वारा निरसित किये जाते हैं।  
(2) ऐसा निरसन के होते हुए भी उक्त नियमावली आदेश या परिपत्र के अधीन किया गया कुछ भी या कोई गयी कोई कार्रवाई इस नियम के अधीन किया गया या की गयी समझी जायेगी मानो यह नियमावली उस दिन प्रवृत्त थी जिस वैसा कुछ किया गया था या वैसी कोई कार्रवाई की गयी थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-  
दीपक कुमार सिंह,  
सरकार के सचिव,  
जल संसाधन विभाग।

ज्ञापांक- सं०सं०-3/स्था०-04-(सं० नि०)-28/2013 का 2041 पटना-15,दिनांक-16 दिसम्बर, 2014  
प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को 10 (दस) अतिरिक्त प्रतियों के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ और इसकी 500 (पाँच सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को भेजने के अनुरोध के साथ प्रेषित।

ह0/-  
(आशीष कुमार सिन्हा)  
सरकार के अवर सचिव।




ज्ञापांक- सं०सं०-3/स्था०-04-(सं० नि०)-28/2013 का 2041 पटना-15,दिनांक-16 दिसम्बर, 2014  
प्रतिलिपि -महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी विभाग/सभी  
प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार/महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय/सचिव, बिहार विधान  
सभा/ विधान परिषद/राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार राज्य कर्मचारी चयन  
आयोग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/-

(आशीष कुमार सिन्हा)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक- सं०सं०-3/स्था०-04-(सं० नि०)-28/2013 का 2041 पटना-15,दिनांक-16 दिसम्बर, 2014  
प्रतिलिपि -माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/सभी अभियंता  
प्रमुख/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/निदेशक, भू-अर्जन एवं पूनर्वास/सभी उप सचिव (प्रबंधन)/सभी अवर  
सचिव (प्रबंधन)/सभी मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ  
प्रेषित।

  
16-12-14

(आशीष कुमार सिन्हा)


सरकार के अवर सचिव।

---

16 दिसम्बर-2014

सं०सं०-3/स्था०-04-(सं० नि०)-06/2014/2042 - "बिहार जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय  
प्रारूपकार संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2014 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार  
राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348  
के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उक्त अधिसूचित नियमावली 2014 का प्राधिकृत पाठ समझा  
जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
16.12.14

(आशीष कुमार सिन्हा)

अवर सचिव,

जल संसाधन विभाग।

The 16<sup>th</sup>..December, 2014

**The Bihar Water Resources Department Field Draftsman cader  
(Recruitment and Service Condition) Rules, 2014**

*NO.-3/Astha-04-(S. Ni.)-28/2013-2041* -In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules to regulate the recruitment and service conditions of Draftsman of the field offices of Chief Engineers of the Water Resources Department :-

**1. Short Title, Extent and Commencement** - (1) These Rules may be called as the "The Bihar Water Resources Department Field Draftsman cader (Recruitment and Service Condition) Rules, 2014".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

**2. Definitions** - In these Rules, unless otherwise required in the context :-

(i) "Department" means Water Resources Department;

(ii) "Cadre" means the cadre of Draftsman working in the field offices of Water Resources Department, which shall also include personsto be appointed under these rules;

(iii) "Appointing Authority" means the Chief Engineers, Water Resources Department;

(iv) "Appointed day" means the date of commencement of these rules;

(v) "Commission" means the Bihar Staff Selection Commission;

(vi) "Field Establishment" means all the establishments under the control of Chief Engineers, Water Resources Department;

**3. Constitution of the cadre** - The cadre structure of the Draftsman cadre of field establishment shall be as follows:-

(i) Employee appointed on regular basis on the post of Draftsman in the field offices of the Department shall be deemed to be automatically included in this cadre along with those to be appointed under this rules.

(ii) This cadre shall be at Chief Engineer level.

(iii) Appraisalment of number of Draftsman shall be decided by the department.

(iv) The cadre structure of Draftsman of field Establishment is prescribed as follows :

Sl. No.	Name of Category	Level
1	Draftsman	Basic Category
2	Draftsman- I	First Promotion Level
3	Draftsman - II	Second Promotion Level
4	Senior Draftsman -I	Third Promotion Level

The pay scale of above posts will be the same as may be determined by Government (Finance Department) from time to time for these posts.

**4. Eligibility** - (1) The minimum educational qualification for the appointment against the post of Draftsman shall be Matriclucation (10<sup>th</sup>) or equivalent with Diploma in Engineering in Draftsman Trade or Diploma in Engineering in any Trade. In case of equality on other eligibility Criteria, Diploma in Engineering in Draftsman Trade



from the Board/College/University recognised by Central or State Government shall be given priority.

(2) The minimum age shall be 18 years on the date of the advertisement for recruitment and the maximum age shall be such as may be determined by the State Government (General Administration Department) from time to time.

5. **Recruitment** -(1) 85 % posts of Draftsman cadre shall be filled up by direct recruitment and 15 % post shall be filled up by seniority order from such Tracer/Blue Printer who have the qualifications for the appointment on Draftsman post without examination. 10% posts of the 85% posts of direct recruitment, shall be reserved for the appointment on compassionate ground.

(ii) All recruitments shall be done in the grade of Draftsman on recommendation of the Commission.

(iii) The appointing authority shall calculate the vacancies occurred till 1<sup>st</sup> April of every year and shall send requisition to the Commission by 30<sup>th</sup> April.

(iv) The Commission shall advertise the vacancies and after selecting the successful candidates on the basis of competitive examination shall recommend the name of candidates to the appointing authority in order of merit. The merit list shall remain valid for one year from the date of the recommendation.

6. **Recruitment by Promotion** -(1) The appointing authority shall prepare the seniority list of Tracer / Blueprinter employees having possessed matriculation with Diploma in Engineering in Draftsman Trade or Diploma in Engineering in any Trade. In case of equality on other eligibility criteria, Diploma in Engineering in Draftsman trade shall be given priority.

(2) Promotion will be given on the recommendation of Departmental Promotion Committee in accordance with the seniority and after examination of technical efficiency.

(3) The Promotion Committee shall be constituted by the department.

7. **Probation period**- The appointment shall be on probation which shall be for two years. If the service of probationer on basis of work performance evaluated service and conduct is not found satisfactory, his/her probation period may be extended by one year. If the service evaluated on the basis of performance of work and conduct of the employee, appointed on probation is not found satisfactory even during the extended period he/she shall be discharged from the service without any notice.

8. **Confirmation** -A probationer shall be confirmed after completion of satisfactory probation period and passing of the departmental examination.

9. **Seniority** -Inter se seniority of the members of the cadre shall be in accordance with the order of merit as determined by the Commission but the inter se seniority determined prior to coming into force of these rules shall remain unchangeable.



Provided that the person appointed on the basis of compassionate ground shall be junior to such persons who have been appointed on the basis of competitive examination of concerned recruitment year :

Provided further that the person appointed through promotion in a recruitment year shall be senior to the person appointed through examination in concerned recruitment year :

Provided further also that If an employee transferred from one zone to another zone at his request, he shall be the junior most in the transferred zone, But if any employee is transferred on administrative ground, then his seniority shall be unaffected.

10. **Reservation** -The provisions of the Bihar Reservation of vacancies in posts and services (for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and other Backward Class) Act, 1991 and the Rules and roster prescribed there under by the State Government, from time to time, shall be applicable to the appointments and promotions.
11. **Posting** - Posting of a Draftsman appointed shall in the field offices under the control of Chief Engineer.
12. **Residuary matters** -With regard to matters not specifically covered by these rules, the members of the cadres shall be governed by the rules, regulations or orders applicable to the officers/employees of the State Government at appropriate level.
13. **Removal of difficulties** - The Government (Water Resources Department/General Administration Department) shall have power to issue such general or special instructions, from time to time after consultation with the Law Department which is necessary for removal of difficulties in implementation of any of the provisions of these rules and is not inconsistent with the provisions of these Rules.
14. **Interpretation** -Where any doubt arises in interpretation of any provision of these rules, that matter shall be decided by the General Administration Department time after consultation with the Law Department and its decision shall be final.
15. **Repeal and Savings** - (1) All related rules, orders and circulars already issued are hereby repealed.  
(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the said Rules/Orders or circulars shall be deemed to be done or taken under these rules as if these rules it were come in the force on the day on which such thing was done or such action was taken.

By the order of Governor,

Sd./-

Dipak Kumar Singh.

Secretary to Govt.,

Water Recourses Department.



**Memo N0.- 3/Astha-04-(S. Ni.)-28/2013 ka 2041/Patna-15, Dated -16th Dec, 2014**

Copy Forwarded to the Superintendent, Government Press, Gulzarbagh, Patna with request to publish this notification in extraordinary issue of the Bihar Gazette and to send its five hundred copies to this department.

Sd./-

(Ashish Kumar Sinha)

Under Secretary to Govt.

**Memo N0.- 3/Astha-04-(S. Ni.)-28/2013 ka 2041/Patna-15, Dated -16th Dec, 2014**

Copy forwarded to Accountant General, Bihar, Patna/Finance Department, Bihar, Patna/ All Departments/All Divisional Commissioner/Concerned Treasury/ Registrar General High Court/Secretary, Bihar Legislative Assembly/Legislative Council/Governor Secretariat/Chief Minister Secretariat/C.M. Secretariat/Secretary, BSSC, Patna.


Sd./-

(Ashish Kumar Sinha)

Under Secretary to Govt.

**Memo N0.- 3/Astha-04-(S. Ni.)-28/2013 ka 2041/Patna-15, Dated -16th Dec, 2014**

Copy forwarded to P.S. to Minister WRD/P.S. to Secretary/All Engineer in chief/Joint Secretary (Management)/ Director, Land Acquisition and Re-habilitation/All Deputy Secretary (Management)/All Under Secretaries/All Chief Engineer, WRD, Bihar.

  
16.12.14

(Ashish Kumar Sinha)

Under Secretary to Govt.